(37)

(37)

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016
E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक 1094 / बीपीएलएलपी–452 / एलपी–16 / धारा–16 / नग्रानि / जिका / 2014 भोपाल,दिनॉक 16/07/2020
प्रति,

मेसर्स अग्रवाल इन्फीनिटी,
भागीदारी श्री अरूण अग्रवाल एवं अन्य
250, सागर प्लाजा, एम. पी. नगर, जोन–2,
भोपाल, म. प्र.

विषय :– परियोजना का नाम " सागर 12 माईल" के स्थान पर "सेज माईल स्टोन " परिवर्तन बावत्।

सदर्भ:– आपका आवदेन दिनांक 17.06.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम–समरधा कलियासोत, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल के भूमि खसरा क्रमांक–299 / 2, 298 / 2, 299 / 1, 298 / 3, 297 / 2, 297 / 1, 298 / 1 एवं 304 कुल रकवा 4.240 हेक्टेयर भूमि पर कार्यालय के पत्र कमांक–बीपीएलएलपी–452 / एलपी–16 / धारा–16 / नग्रानि / जिका / 2014 भोपाल,दिनॉक 23 / 06 / 2017 द्वारा विकास अनुज्ञा जारी किया गया था जिसमें परियोजना का नाम **"सागर 12 माईल"** के स्थान पर आवेदक द्वारा परियोजना का नाम **"सेज माईल स्टोन "** रखा गया है, तथा तदानुसार सूचना का प्रकाशन आवेदक द्वारा नई दुनिया तथा पीपुल्स समाचार दिनांक 20.06.2020 को कराया जाकर कार्यालय मे समाचार पत्र प्रस्तुत किये है। आवेदन अनुसार परियोजना का नाम **"सागर 12 माईल"** के स्थान पर **"सेज माईल स्टोन "** करने की सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालय द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र कमांक–बीपीएलएलपी 452 दिनांक 26.06.2017 मे निहित शर्तें यथावत रहेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन म.प्र

कमांक / बीपीएलएलपी–452 / एलपी–16 / धारा–16 / नग्रानि / जिका / 2014 भोपाल,दिनॉक / 2020
प्रतिलिपि:–

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बैंच) भोपाल की ओर प्रकरण कमांक–21 / 2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भू–संपदस विनियामक प्राधिकरण, भोपाल म. प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. उपमहाप्रबंधक / कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी / तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक / पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले–आउट स्वीकृत हो गया है" की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन म.प्र

Dm

Scanned with CamScanner

(38) (56) (2)

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी,, भोपाल–462016
E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक /बीपीएलएलपी–452/एलपी–16/धारा–16/नग्रानि/जिका/2014 भोपाल,दिनॉक 23/06/2017

प्रति,

आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली
नगर पालिक निगम, भोपाल (म0 प्र0)

विषय :– ग्राम–समरधा कलियासोत, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल के भूमि खसरा क्रमांक–299/2, 298/2, 299/1, 298/3, 297/2, 297/1, 298/1 एवं 304 कुल रकवा 4.240 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय, बहु इकाई आवासीय एवं होटल विकास हेतु अनुज्ञा बावत्।

(परियोजना का नामः–" सागर 12 माईल ")

संदर्भः– आपका पत्र कमांक–395/रीडर–1/14 भोपाल दिनांक–18.06.2014 एवं आवदेक का आनलाईन आवेदन दिनांक–24.05.2014.

——0——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ ग्राम–समरधा कलियासोत, तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल के भूमि खसरा क्रमांक–299/2, 298/2, 299/1, 298/3, 297/2, 297/1, 298/1 एवं 304 कुल रकवा 4.240 हेक्टेयर भूमि जो कि मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक–एफ–3–9–2006–32 दिनांक–24.3.2006 द्वारा भोपाल निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमा में स्थित है। मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, के आदेश कमांक–एफ–3/75/2013/32 दिनांक–5.7.2013 द्वारा दिये गये निदेशों के तारतम्य में प्रकरण को राज्य नगर नियोजन संस्थान संस्था को दिनांक–04.10.2014 को प्रेषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्था द्वारा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 15 (5) द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक–27.08.2016 के कार्यवाही विवरण पत्र कमांक–8655 दिनांक–27.12.2016 द्वारा प्रेषित किया गया है। समिति के निर्णय के आधार पर संदर्भित पत्र के साथ मेसर्स अग्रवाल इन्फीनिटी, भागीदारी श्री अरूण अग्रवाल एवं अन्य के साथ पंजीकृत अनुबंध कमांक–R157395 दिनांक 27/08/2014 एवं पंजीकृत डीड कमांक–H 286362 दिनांक 22/08/2014 प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन अनुसार मेसर्स अग्रवाल इन्फीनिटी, भागीदारी श्री ( ) अग्रवाल एवं अन्य, सागर प्लाजा 250, जी–2, एम. पी. नगर, जिला–भोपाल,भोपाल के आवेदन ... आवासीय विकास हेतु मध्य प्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16(4) सहपठित धारा 30(1) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14(5) एवं 27(1) के प्रावधान के अनुसार विकास की अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.06.23 ...

1. निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–
   1. मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959
   2. लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग।
   3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
   4. भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला भोपाल।
   5. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।
   6. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में।
   7. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
2. आवासीय भूखण्डों पर विकास योजना 2005 की सारणी कमांक–4–सा–2 के प्रावधान मान्य होंगें।

Scanned with CamScanner

3. इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का विभाजन मान्य नही होगा।

4. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रकिया उपनानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।

5. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है। उनमें सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, आव्हर हैड टैंक, गारवेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।

6. सीवेज/ठोस अपशिष्ट का ट्रीटमेन्ट निर्धारित क्षमता के ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा, तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से कालोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

7. परिसर जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।

8. मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन कमांक–एफ–5–23/2003/32 भोपाल दिनांक–14 अक्टुबर 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना कमांक–एस ओ 801 (ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमंट इम्पेक्टस असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

9. इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 3.3.2017 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगी।

10. संस्था द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की होगी।

11. बहुइकाई मापदण्ड़ निम्नानुसार होगें:–

कमांक	विवरण	फेस–1	फेस–2
1	भूतल निर्मित क्षेत्र	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत
2	एम. ओ. एस.	सामने से 12.00 मीटर, पीछे से 7.50 मीटर (न्यूनतम), दायें से 7.50 मीटर (न्यूनतम) एंव बाये से 7.50 मीटर (न्यूनतम)।	सामने से 7.50 मीटर, पीछे से 6.00 मीटर (न्यूनतम), दायें से 6.00 मीटर (न्यूनतम) एंव बांये से 6.00 मीटर (न्यूनतम)।
3	एफ. ए. आर.	1:2.00 (एक अनुपात दो दशमलव शून्य) अधिकतम	1:1.25 (एक अनुपात एक दशमलव पांच) अधिकतम
4	भवन की अधिकतम ऊँचाई	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (30.0 मीटर + दो स्टिल्ट पार्किंग+ बेसमेंट पार्किग)	मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (12.0 मीटर + स्टिल्ट पार्किंग+ ओपन पार्किग)
5	पार्किंग	कुल 164 ईसीएस जो कि स्टिल्ट पर 65 ईसीएस एंव बेसमेंट पर 99 ईसीएस का प्रावधान किया है।	कुल 70 ईसीएस जो कि स्टिल्ट पर 55 ईसीएस एंव ओपन पर 15 ईसीएस का प्रावधान किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.06.23 19:15:59 IST

Scanned with CamScanner

12. होटल हेतु मापदण्ड निम्नानुसार होगें:–
   (1) भवन का भूतल निर्मित क्षेत्र 30 प्रतिशत अधिकतम मान्य होगा।
   (2) भवन में संलग्न मानचित्र में दर्शाय अनुसार एम ओ एस रखे जावे।
   (3) होटल भवन में सामने से 12.0 मीटर, पीछे से 7.50 मीटर (न्यूनतम), दायें से 7.50 मीटर (न्यूनतम) एंव बांये से 7.50 मीटर (न्यूनतम)।
   (4) एफ. ए. आर 1:1.20 (एक अनुपात एक दशमलव दो शून्य) अधिकतम तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार भवन की अधिकतम ऊँचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होगा (30.0 मीटर + स्टिल्ट/पोडियम बेंसमेंट पार्किंग)
   (5) पार्किंग :– बहु इकाई आवास हेतु एक ई. सी. एस. प्रति 50.0 वर्ग मी. निर्मित क्षेत्र की दर से 192 ई. सी. एस. की आवश्यकता होगी। बेसमेन्ट में 65 ई. सी. एस. एवं स्टिल्ट (1+2) में 127 ईसीएस का प्रावधान है।

13. प्रकरण में 145 आवासीय भूखण्ड का भी प्रावधान किया है। इन भूखण्ड़ों में एक भूखण्ड़ पर एक आवासीय इकाई मान्य होगी।

14. परिसर में जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एंव करना अनिवार्य होगा।

15. कलियासोत नदी के किनारे से 33.0 मीटर तक खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा। जिस पर विकास कार्य मान्य नही होगा।

16. प्रश्नाधीन भूमि के मध्य में अन्य भू–स्वामी की भूमि है जिसके लिये पहुँच मार्ग व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा एवं भविष्य मे कोई विवाद उत्पन्न न हो यह सुनिश्चित किया जावें।

17. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।

18. भोपाल विकास योजना 2005 एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में उल्लेखित भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु निर्धारित समस्त मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

19. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानो के अनुसार स्थल पर वृक्षोरापण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।

20. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के अन्तर्गत [illegible] प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के [illegible] नियमो का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.06.23 19:15:59 IST

21. प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य श्रेणी के कुल 145 आवासीय भूखण्ड एवं बहुइकाई में 300 आवासीय इकाईयाँ इस प्रकार कुल 445 (145 आवासीय भूखण्ड +300 आवासीय इकाई) प्रस्तावित किये गये है, एवं प्रस्तावित अभिन्यास में कमजोर आय वर्ग के लिए नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 10 के अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक–19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार ई डब्ल्यू एस हेतु 30.0 वर्गमीटर क्षेत्रफल की 40 इकाई एवं एल आई जी हेतु 45.0 वर्गमीटर क्षेत्रफल की 27 आवासीय इकाई का प्रावधान किया गया है। एवं अन्य फेस–B बहु इकाई में कुल 48 आवासीय इकाई प्रस्तावित किये गये है, एवं प्रस्तावित अभिन्यास में कमजोर आय वर्ग के लिए नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 10 के अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक–19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार ई डब्ल्यू एस हेतु 30.0 वर्गमीटर क्षेत्रफल की 5 इकाई एवं एल आई जी हेतु 45.0 वर्गमीटर क्षेत्रफल की 03 आवासीय इकाई का प्रावधान किया गया है। कृपया मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम

Scanned with CamScanner

1998 के परिपेक्ष्य में इस बाबत् परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। इसके अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जावे।

22. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।

23. यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नही होगें।

24. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गो की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गो को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरूद्ध न किया जावे इसे मान्य नही किया जावेगा।

25. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50X1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।

26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन शुल्क रूपये 25,000/– चालान क्र–41 दिनॉक–25.08.2014 तथा विकास अनुज्ञा शुल्क रूपये 3,18,000/– सी आर एन क्रमांक–MPT021707062017000004 दिनांक 07.06.2017 द्वारा जमा किये गये वे अंतिम सत्यापन के अध्यधीन है यदि आपके द्वारा भुगतान किये गये प्रोसंसिंग/आवेदन शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परीलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

27. किसी प्रकार का ठोस उपशिष्ट परिसर के आसपास की भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।

28. संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम–2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

29. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि, शपथकर्ता इस भूमि का भू–स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ता–धर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जायेगा, जैसा कि अनुमति है व वैसा जैसा कि अनुमति में उल्लेखित शर्तो में उल्लेख है।

30. जल–मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डो के अनुसार की जावे।

31. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रो का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यो को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।

32. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार का भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

33. स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाईन के नीचे निर्माण/विकास कार्य स्वीकार्य नहीं होगा, लाईनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक/संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivkant Mudgal
Date: 2017.06.23 19:15:59 IST

34. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार एक भूखण्ड पर एक आवासीय इकाई मान्य है।

35. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी।

36. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल, के पत्र क्रमांक–131–132 एवं 417/बी–121/13–14 दिनांक 7.2.2014 एवं 31.7.2014 द्वारा जारी अनापत्ति कर समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

37. भोपाल विकास प्राधिकिरण भोपाल के पत्र कमांक–785 से 787 /02/भोविप्रा/2016 भोपाल, दिनांक 24.2.2014 द्वारा दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

38. राज्य नगर नियोजन संस्थान के पत्र कमांक–8625/सिटॉप/2017/धारा–16/नियो/ भोपाल दिनांक–27.12.2016 में उल्लखित समस्त शर्तो का पालन सुनिचित हो।

39. आवेदक संस्था द्वारां प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम "सागर 12 माईल" रहेगा, बगैर लिखित स्वीकृति के इसमें कोई परिवर्तन मान्य नही होगा।

Scanned with CamScanner

(2)

स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाईनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक/संस्था द्वारा विकास कार्य शुरू किया जावे।

41. एस टी पी हेतु 3.50 लाख की बैंक गारन्टी 2017/12 दिनांक–03.04.2017 द्वारा राज्य नियोजन संस्थान में जमा की गई है। उनके पत्र कमांक–9485 दिनांक–24.4.2017 द्वारा पुष्टी की गई है।

42. उपरोक्त किसी भी शर्त को उलंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक कर दी जावेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल –सीहोर–रायसेन म.प्र.

पृ. क्रमांक /बीपीएलएलपी–452/एलपी–16/धारा–16/नग्रानि/जिका/2014 भोपाल,दिनॉक 23/06/2017

प्रतिलिपि:–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बेंच) भोपाल की ओर प्रकरण कमांक–21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल (कम्प्यूटर कक्ष) की ओर निर्देशुनसार सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. संचालक समन्वय, राज्य नगर नियोजन संस्थान, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले–आउट स्वीकृत हो गया है" अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by [illegible]
Date: 2017.06.23 19:15:59 IST

8. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
9. सर्वेकक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. साथ मेसर्स अग्रवाल इन्फीनिटी, भागीदारी श्री अरूण अग्रवाल एवं अन्य सागर प्लाजा 250, जी–2, एम. पी. नगर, जिला–भोपाल,भोपाल प्रश्नाधीन भूमि पर प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी होने के 15 दिन के भीतर आव यक रूप से उपलब्ध करावें तथा समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करे। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल –सीहोर–रायसेन म.प्र.

Scanned with CamScanner

0. स्थल पर वर्तमान में विद्यमान इलेक्ट्रिक लाईनों को स्थानांतरित किये जाने के पश्चात ही आवेदक/संस्था द्वारा विकास कार्य शुरू किया जावे।

41. एस टी पी हेतु 3.50 लाख की बैंक गारन्टी 2017/12 दिनांक–03.04.2017 द्वारा राज्य नियोजन संस्थान में जमा की गई है। उनके पत्र कमांक–9485 दिनांक–24.4.2017 द्वारा पुष्टी की गई है।

42. उपरोक्त किसी भी शर्त को उलंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक कर दी जावेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल –सीहोर–रायसेन म.प्र.

पृ. क्रमांक /बीपीएलएलपी–452/एलपी–16/धारा–16/नग्रानि/जिका/2014 भोपाल,दिनॉक 23/06/2017

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बेंच) भोपाल की ओर प्रकरण कमांक–21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल (कम्प्यूटर कक्ष) की ओर निर्देशुनसार सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. संचालक समन्वय, राज्य नगर नियोजन संस्थान, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल भोपाल की ओर सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले–आउट स्वीकृत हो गया है" अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivani Ch
Date: 2017.06.23 19:15:59 IST

8. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
9. सर्वेकक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
10. साथ मेसर्स अग्रवाल इन्फीनिटी, भागीदारी श्री अरूण अग्रवाल एवं अन्य सागर प्लाजा 250, जी–2, एम. पी. नगर, जिला–भोपाल,भोपाल प्रश्नाधीन भूमि पर प्राप्त समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी होने के 15 दिन के भीतर आव यक रूप से उपलब्ध करावें तथा समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करे। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल –सीहोर–रायसेन म.प्र.

Scanned with CamScanner

(62)

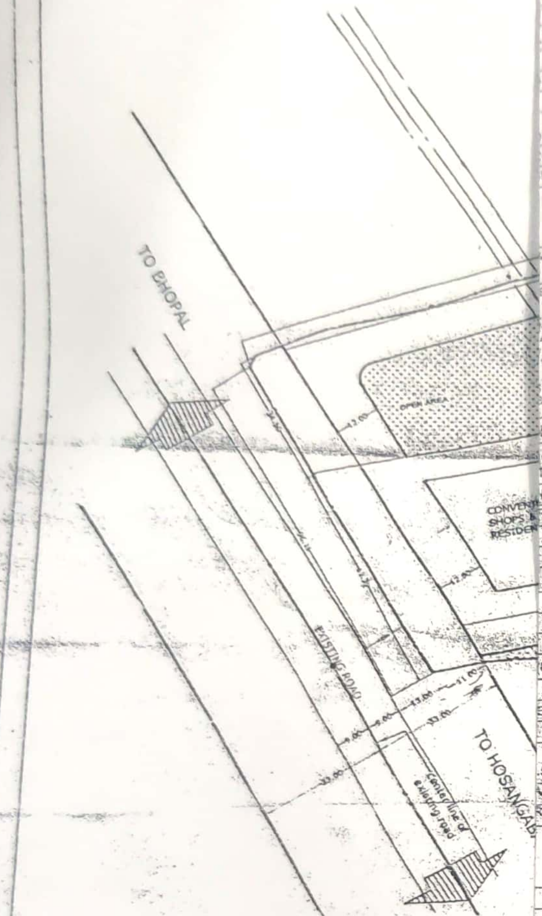

NAME-Sagar 12th Mile

STATEMENT OF AREAS

A	42400 SQ.M. (4.24 HECT.)
NG NALAH (9M WIDE)	1993.55 SQ.M.
	40406.45 SQ.M.
	27223.84 SQ.M.
	13182.61 SQ.M.
REAS - PHASE - I	
	27223.84 SQ.M.
NIT DEVELOPMENT(A)	7375.21 SQ.M.
TIAL PLOTS DEVELOPMENT(B)	19848.63 SQ.M.
TI-UNIT DEVELOPMENT (PHASE-I-A)	
	7375.21 SQ.M.
DENING	795.78 SQ.M.
	6579.43 SQ.M.
5.75X(2.00 X2.00)]	16341.98 SQ.M.
COVERAGE	1973.83 SQ.M. (30%)
SERVICES	723.73 SQ.M. (11.00 %)
	FRONT - 12.00 M
	REAR - 7.50 M
	ALL SIDES - 7.50 M
MULTY +CONVENIENT SHOP	STILT 1 +STILT 2 PARKING + 30.00 M
EA	2.5% OF TOTAL F.A.R. (4.24 H)
STILT 2 65 CARS; BASEMENT 99 CARS	
ENTIAL PLOTS DEVELOPMENT (PHASE-I-B)	
	19848.63 SQ.M. — 100.00%
TS	12237.90 SQ.M. — 61.65%
& SERVICES	2183.35 SQ.M. — 11.00%
CIRCULATION	4692.38 SQ.M. — 23.65%
	735.00 SQ.M. — 3.70%
	145
- PHASE - II	
	13182.61 SQ.M.
	7589.91 SQ.M.
DEVELOPMENT(B)	5592.70 SQ.M.
(PHASE-II-A)	
	7589.91 SQ.M.
ENING	380.56 SQ.M.
	7209.35 SQ.M.
	1:1.20
.5(X2.00 X1.2)]	8564.58 SQ.M.
VERAGE	30%
RVICES	793.03 SQ.M.
	FRONT - 12.00 M
	REAR - 7.50 M
	ALL SIDES - 7.50 M
	BASEMENT + 30.00 M
STILT 2 127 CARS; BASEMENT 65 CARS	
T DEVELOPMENT (PHASE-II-B)	
	5592.70 SQ.M.
	1:1.25
	6990.88 SQ.M.
RAGE	1677.81 SQ.M. (30%)
VICES	615.20 SQ.M. (11.00 %)
	FRONT - 7.50 M
	REAR - 6.00 M
	ALL SIDES - 6.00 M
	STILT PARKING + 12.50 M
65 CARS; 15 CARS	

PROPOSED LAYOUT PLAN FOR O... NO.297/1,297/2, 298/1, 298/2, 298/3, ... SITUATED AT SAMARDHA, KALIA... HOSHANGABAD ROAD , BHOPAL

...OJ ...RA ...SOCIATES
...II, MP NAGAR, BHOPAL 462011
...24410,9425301813

क्रमांक [illegible]/76/2015/[illegible] दिनांक [illegible] ... 27/04/2011 एवं [illegible] ... 14(5) एवं 2911) के प्रावधान के अनुसार विकास की अनुज्ञा

1. निम्न लिखित [illegible] मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता [illegible] ... भू-अर्जन अधिकारी [illegible] ... के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
2. [illegible]
3. [illegible]
4. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. मध्य प्रदेश शासन, [illegible] ... सुनिश्चित की जावे तथा पश्चात अनुज्ञा पी पूर्ण न की जावे।

इस कार्यालय एवं [illegible] पर ही मान्य होगी।
संस्था द्वारा प्रस्तुत [illegible] मनुष्य इकाई मापदण्ड निम्नानुसार होंगे:-

क्रमांक	विवरण
1	[illegible]
2	[illegible]
3	[illegible]
4	[illegible]
5	[illegible]

12. होटल हेतु मापदण्ड निम्नानुसार होंगे-
(1) भवन का कुल [illegible] 30 प्रतिशत
(2) भवन [illegible]
(3) होटल भवन [illegible] 12.0 मीटर [illegible] 7.50 मीटर [illegible] 7.50
(4) एफ. ए. आर [illegible]
(5) पार्किंग :- [illegible]
13. प्रकरण में 145 [illegible]
14. परिसर में [illegible]
15. [illegible]
16. प्रस्तावित भूमि [illegible] यह सुनिश्चित किया जावे।
17. प्रस्तावित [illegible] समायोजन किया जावे।
18. भोपाल विकास योजना 2005 [illegible] सुनिश्चित करना होगा।
19. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम [illegible]
20. मध्य प्रदेश नगर पालिका [illegible]
21. प्रस्तावित [illegible] +300 [illegible] ... अनुपालन सुनिश्चित [illegible]
22. [illegible]
23. यह अनुज्ञा [illegible]
24. संलग्न मानचित्र [illegible]
25. स्थल पर अनुमोदन [illegible]
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 21 के [illegible] ... [illegible]
27. किसी प्रकार का [illegible]
28. संस्था एवं नगर पालिका [illegible] अनिवार्य होगा।
29. यह अनुमति आवेदक द्वारा [illegible] में उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
30. [illegible]
31. निर्माणकर्ता को [illegible]
32. इस अनुज्ञा को भूमि [illegible]
33. स्थल पर वर्तमान में [illegible] आवेदक/संस्था द्वारा [illegible]
34. आवेदक संस्था द्वारा [illegible]
35. मध्य प्रदेश नगर [illegible] तक प्रवृत्त रहेगी।
36. कार्यालय [illegible] अनिवार्य।
37. भोपाल विकास [illegible] होगा।
38. राज्य नगर निवेश [illegible] सुनिश्चित हो।
39. आवेदक संस्था द्वारा [illegible] कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
40. स्थल पर [illegible]
41. [illegible] 2017/12 [illegible] दिनांक 26.4.2017 द्वारा [illegible] गई है।
[illegible]

d Stamp Department

(35)

PROJECT NAME-Sagar 12th Mile

STATEMENT OF AREAS

(A) TOTAL LAND AREA	42400 SQ.M. (4.24 HECT.)
(B) OPEN AREA ALONG NALAH (9M WIDE)	1993.55 SQ.M.
(C) CLEAR AREA	40406.45 SQ.M.
(D) AREA OF PHASE - I	27223.84 SQ.M.
(E) AREA OF PHASE - II	13182.61 SQ.M.
STATEMENT OF AREAS - PHASE - I	
(1) LAND AREA	27223.84 SQ.M.
(2) AREA UNDER MULTI UNIT DEVELOPMENT(A)	7375.21 SQ.M.
(3) AREA UNDER RESIDENTIAL PLOTS DEVELOPMENT(B)	19848.63 SQ.M.
AREA UNDER MULTI-UNIT DEVELOPMENT (PHASE-I-A)	
(1) LAND AREA	7375.21 SQ.M.
(2) AREA UNDER ROAD WIDENING	795.78 SQ. M.
(3) NET PLANNING AREA	6579.43 SQ. M.
(4) PERMISIBLE F.A.R. [(6579.43 X 2.00) + (795.78X2.00 X2.00)]	16341.98 SQ. M.
(5) PERMISIBLE GROUND COVERAGE	1973.83 SQ. M. (30%)
(6) AREA UNDER OPEN & SERVICES	723.73 SQ. M. (11.00 %)
(7) M. O. S.	FRONT - 12.00 M
	REAR - 7.50 M
NO. OF FLATS= 300	ALL SIDES - 7.50 M
(8) MAXIMUM HEIGHT FOR MULTY +CONVENIENT SHOP	STILT 1 +STILT 2 PARKING+ 30.00 M
CONVENIENT SHOP AREA	2.5% OF TOTAL F.A.R. (2.24 H)

PARKING CALCULATION
NO. OF CARS@ 1ECS/100 SQ.M. BUA =16341.98/100
= 163.42
say 164 CARS

PARKING SPACE
@ 30 SQM/ CAR IN STILT 1+STILT 2 — 65 CARS
@ 35 SQM/ CAR IN PODIUM/BASEMENT — 99 CARS

AREA UNDER RESIDENTIAL PLOTS DEVELOPMENT (PHASE-I-B)

(1) LAND AREA	19848.63 SQ.M.	100.00%
(2) AREA UNDER PLOTS	12237.90 SQ.M.	61.65%
(3) AREA UNDER OPEN & SERVICES	2183.35 SQ.M.	11.00%
(4) AREA IN ROAD & CIRCULATION	4692.38 SQ.M.	23.65%
(5) AREA OF EWS	735.00 SQ.M.	3.70%
(6) NO. OF PLOTS	145	

STATEMENT OF AREAS - PHASE - II

(1) LAND AREA	13182.61 SQ. M.
(2) AREA UNDER HOTEL(A)	7589.91 SQ. M.
(3) AREA UNDER MULTI UNIT DEVELOPMENT(B)	5592.70 SQ. M.
STATEMENT OF HOTEL(PHASE-II-A)	
(1) PLOT AREA	7589.91 SQ. M.
(2) AREA UNDER ROAD WIDENING	380.56 SQ. M.
(3) NET PLANNING AREA	7209.35 SQ. M.
(4) PERMISIBLE F.A.R. [(7209.35 X 1.2) + (380.56 X2.00 X1.2)]	1:1.20 / 9564.58 SQ. M.
(5) PERMISIBLE GROUND COVERAGE	30%
(6) AREA UNDER OPEN & SERVICES	793.03 SQ. M.
(7) M. O. S.	FRONT - 12.00 M
	REAR - 7.50 M
	ALL SIDES - 7.50 M
(8) MAXIMUM HEIGHT	BASEMENT + 30.00 M

PARKING CALCULATION

Scanned with CamScanner

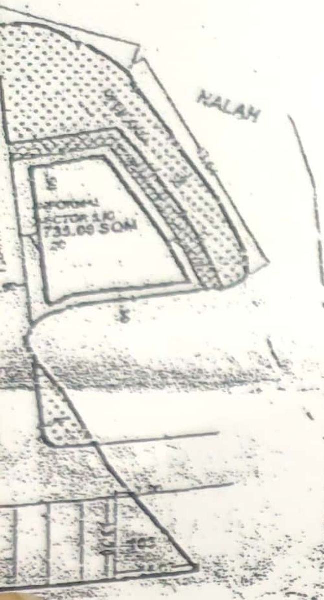

(3) NET [illegible]	5579.43 SQ. M.
(4) PERMISIBLE F.A.R. [(6579.43 X 2.00) + (795.76 X 2.00 X 2.00)]	16341.98 SQ. M.
(5) PERMISIBLE GROUND COVERAGE	1873.83 SQ. M. (30%)
(6) AREA UNDER OPEN & SERVICES	723.73 SQ. M. (11.00 %)
(7) M. O. S.	FRONT - 12.00 M
	REAR - 7.50 M
NO. OF FLATS= 300	ALL SIDES - 7.50 M
(8) MAXIMUM HEIGHT FOR MULTY + CONVENIENT SHOP	STILT 1 + STILT 2 PARKING + 30.00 M
CONVENIENT SHOP AREA	2.5% OF TOTAL F.A.R. (4-7.4 H)

PARKING CALCULATION
NO. OF CARS@ 1ECS/100 SQ.M. BUA =1634[illegible]/100
= 163.4[illegible]
say 16[illegible] CARS

PARKING SPACE
@ 30 SQM/ CAR IN STILT 1+STILT 2 — 65 CARS
@ 35 SQM/ CAR IN PODIUM/BASEMENT — 99 CARS

AREA UNDER RESIDENTIAL PLOTS DEVELOPMENT (PHASE-I-B)

(1) LAND AREA	19848.63 SQ.M.	100.00%
(2) AREA UNDER PLOTS	12237.90 SQ.M.	61.65%
(3) AREA UNDER OPEN & SERVICES	2183.35 SQ.M.	11.00%
(4) AREA IN ROAD & CIRCULATION	4692.38 SQ.M.	23.65%
(5) AREA OF EWS	735.00 SQ.M.	3.70%
(6) NO. OF PLOTS	145	

STATEMENT OF AREAS - PHASE - II

(1) LAND AREA	13182.61 SQ. M.
(2) AREA UNDER HOTEL(A)	7589.91 SQ. M.
(3) AREA UNDER MULTI UNIT DEVELOPMENT(B)	5592.70 SQ. M.

STATEMENT OF HOTEL(PHASE-II-A)

(1) PLOT AREA	7589.91 SQ. M.
(2) AREA UNDER ROAD WIDENING	380.56 SQ. M.
(3) NET PLANNING AREA	7209.35 SQ. M.
(4) PERMISIBLE F.A.R. [(7209.35 X 1.2) + (380.56 X 2.00 X 1.2)]	1:1.20 8564.56 SQ. M.
(5) PERMISIBLE GROUND COVERAGE	30%
(6) AREA UNDER OPEN & SERVICES	793.03 SQ. M.
(7) M. O. S.	FRONT - 12.00 M
	REAR - 7.50 M
	ALL SIDES - 7.50 M
(8) MAXIMUM HEIGHT	BASEMENT + 30.00 M

PARKING CALCULATION
NO. OF CARS@ 1ECS/50 SQ.M. BUA =9564.55/50
= 191.29
say 192 CARS

PARKING SPACE
@ 30 SQM/ CAR IN STILT 1+STILT 2 — 127 CARS
@ 35 SQM/ CAR IN PODIUM/BASEMENT — 65 CARS

AREA UNDER MULTI-UNIT DEVELOPMENT (PHASE-II-B)

(1) LAND AREA	5592.70 SQ.M.
(2) PERMISIBLE F.A.R. (5592.70 X 1.25)	1:1.25 6990.88 SQ.M.
(3) PERMISIBLE GROUND COVERAGE	1677.81 SQ. M. (30%)
(4) AREA UNDER OPEN & SERVICES	615.20 SQ. M. (11.00 %)
(5) M. O. S.	FRONT - 7.50 M
	REAR - 6.00 M
NO. OF FLATS= 48	ALL SIDES - 6.00 M
(6) MAXIMUM HEIGHT	STILT PARKING + 12.50 M

PARKING CALCULATION
NO. OF CARS@ 1ECS/100 SQ.M. BUA =6990.88/100
= 69.91
say 70 CARS

PARKING SPACE
@ 30 SQM/ CAR IN STILT — 65 CARS
@ 30 SQM/ CAR IN OPEN — 15 CARS

...of Total no. of units
...%=7.2 no.=8no.

...150 sq.m
(min area required)

...n. each =135 sq.m.
(min area required)

...4 SQM
...5 SQM (min area required)
...4 FLOORS)

SCALE | NORTH : N | MANOJ

LAN

CALCULATION OF INFORMAL SECTOR & LIG	
PHASE-I	PHASE-II
AREA OF INFORMAL =15 % of Total no.of units 445X15%=66.75=67 no. RATIO FOR EWS & LIG=60:40 NO. OF EWS = 40.20=40 NO. AREA FOR EWS @30 sq.m. each =1200 sq.m (min area required) NO. OF LIG =27 NO. AREA FOR LIG @45 sq.m.to 60 sq.m. each =1215 sq.m. (min area required) BUILT UP AREA ON EACH FLOOR FOR EWS & LIG =(2415)/4 SQM =603.75 SQM(min area required) (STILT+4 FLOORS)	AREA OF INFORMAL =15 % of Total no.of units 48X15%=7.2 no.=8no. RATIO FOR EWS & LIG=60:40 NO. OF EWS = 4.8=5 NO. AREA FOR EWS @30 sq.m. each =150 sq.m (min area required) NO. OF LIG =3 NO. AREA FOR LIG @45 sq.m.to 60 sq.m. each =135 sq.m. (min area required) BUILT UP AREA ON EACH FLOOR FOR EWS & LIG =(285)/4 SQM =71.25 SQM (min area required) (STILT+4 FLOORS)

(7) M. O. S.

(8) MAXIMUM HEIGH

PARKING CALC

NO. OF CARS@1ECS/50 S

PARKING SPACE
@ 30 SQM/ CAR IN S
@ 35 SQM/ CAR IN

AREA UNDER

(1) LAND AREA

(2) PERMISIBLE F
(5592.70 X 1.25

(3) PERMISIBLE GR

(4) AREA UNDER OF

(5) M. O. S.

NO. OF FLATS= 48

(6) MAXIMUM HEIGHT

PARKING CALCU

NO. OF CARS@1ECS/100 S

PARKING SPACE
@ 30 SQM/ CAR IN S
@ 30 SQM/ CAR IN O

NISER	AGRAWAL INFINITY JASWANT SINGH UMRAO SINGH ARUN AGRAWAL OWNER	PLANNER	ARCHITECT	SCALE 1:1000 DATE : 14.04.2017	NORTH : N DRAWN BY : VIJETA	M M & 168, 2555

SHUBHRANSHU UPADHYAY
TP, Planner

Scanned with CamScanner

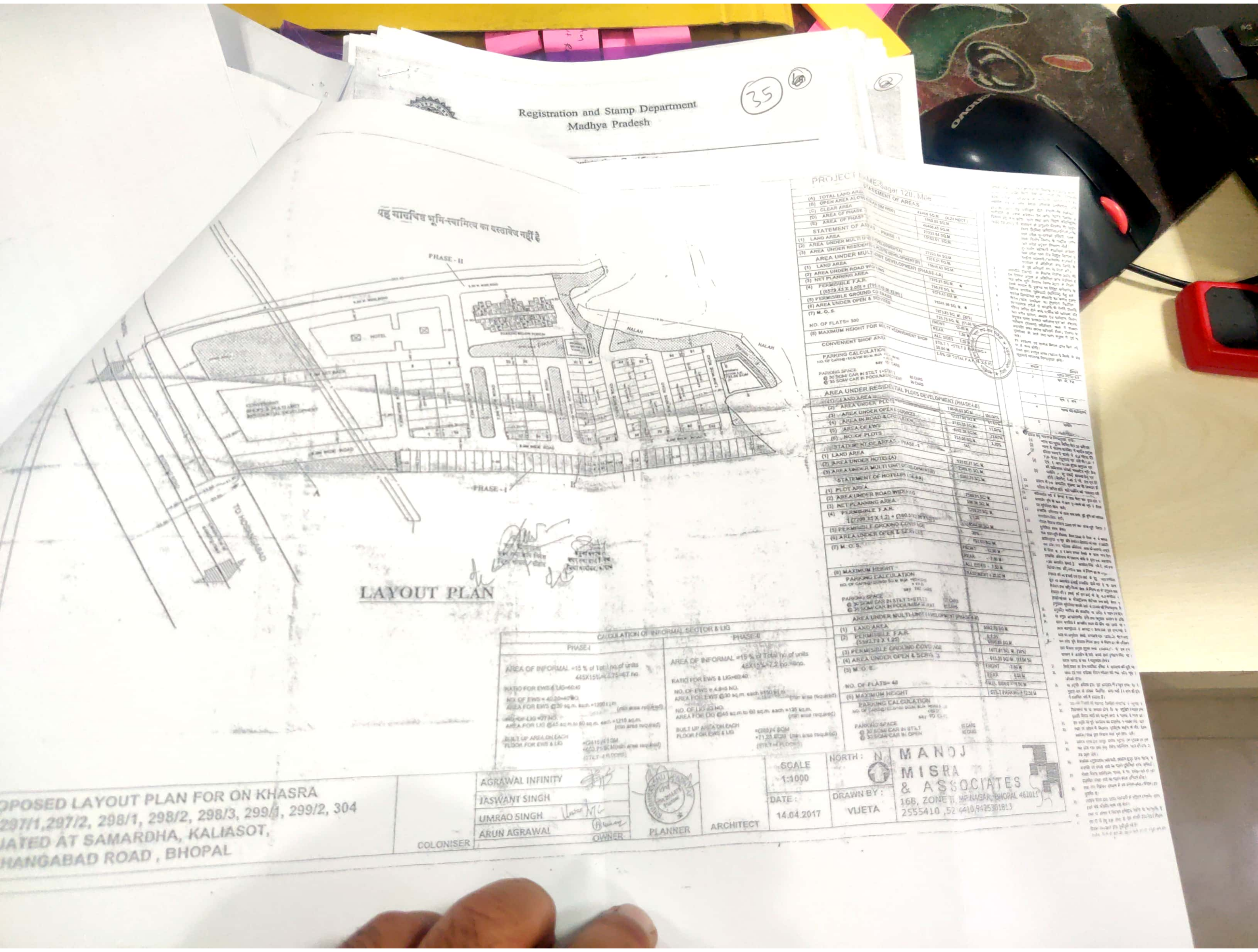

Scanned with CamScanner